

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक : 445 / एक-2-2/85

दिनांक: 19.02.2024

प्रतिलिपि :

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दतिया
- ✓ 2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया/सेवड़ा ✓
3. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया
4. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दतिया
5. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया
6. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेवड़ा / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर, दतिया
7. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया
8. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेवड़ा, जिला दतिया
9. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भाण्डेर जिला दतिया
10. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
उपरोक्त सभी की ओर **कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 की प्रति** वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. प्रशासनिक / उप-प्रशासनिक अधिकारी /लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया की ओर सूचनार्थ एवं यथासमय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ दतिया/सेवड़ा/भाण्डेर की ओर कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 की प्रति वास्ते सूचनार्थ एवं समस्त अधिवक्तागण को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: कार्य विभाजन आदेश ::

क्रमांक: 06/एक-2-2/85

दिनांक: 19.02.2024

पूर्व में प्रभावशील कार्य विभाजन आदेशों को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, **संजीव श्रीवास्तव** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.) इस आदेश के माध्यम से सिविल जिला दतिया तथा सत्र खण्ड दतिया के स्थानीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सिविल तथा सत्र न्यायालयों के मध्य सिविल न्यायालयों द्वारा संज्ञेय सिविल कार्य तथा सत्र न्यायालयों के कार्य के संबंध में निम्नानुसार कार्य वितरण आदेश जारी करता हूँ। यह आदेश दिनांक **19 फरवरी 2024** से प्रभावशील होगा।

खण्ड - अ

“सिविल न्यायालय कार्य विभाजन”

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
1.	प्रधान जिला न्यायाधीश, दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 10,00,00,001/- (दस करोड़ एक रुपये) से अधिक मूल्य के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।2. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें।3. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन पत्र।4. इसी न्यायालय के निर्णय/आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।5. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं जयपत्र के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें।6. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत गठित ग्राम न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकरण में पारित निर्णय एवं आदेश जो अंतवर्ती नहीं है, के विरुद्ध अपीलें।7. सिविल जिला दतिया की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत अद्योसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदओं विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 20(बी) के अंतर्गत दावे/विविध सिविल प्रकरण अथवा अन्य कार्यवाहियों से संबंधित प्रकरण।8. मध्यप्रदेश लोक न्याय अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियां।9. अन्य अधिनियम/नियम के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रकरण एवं आवेदन पत्र, जो इस आदेश में उल्लेखित नहीं हो तथा पूर्णतः इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार योग्य हो।
2.	प्रथम जिला न्यायालय, दतिया के न्या. के प्रथम अति. न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश), एट्रोसिटीज, दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा विशेष अधिनियम एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।2. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।

3.	प्रथम जिला न्यायाधीश, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
4.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, दतिया	<p><u>पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की संख्या 100 से कम होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सिविल कार्य आवंटित किया गया है।</u></p> <ol style="list-style-type: none"> तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 6,00,00,001/- (छः करोड़ एक रुपये) से 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दावे। पागलपन अधिनियम के अन्तर्गत दावे। मेण्टल हेल्थ अधिनियम 1907 के अन्तर्गत प्रकरण। मध्यप्रदेश लोकल फण्ड अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आवेदन पत्र। इसी न्यायालय एवं प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्या. एट्रोसिटीज) दतिया तथा पूर्व में पदाभिहित / अधिसूचित / नामांकित होकर कार्यरत रहे समस्त फास्ट ट्रेक न्यायाधीशगण के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश तथा पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 दतिया के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीशगण के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
5.	तृतीय जिला न्यायाधीश, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा डकैती अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक रुपये) से 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। भारतीय कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत दावे। आर्बिट्रेशन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दावे। इसी न्यायालय एवं प्रथम जिला न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश), तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीशगण एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर एवं पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भाण्डेर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
6.	प्रथम जिला न्यायाधीश दतिया के न्या. के तृतीय अति. न्या. दतिया	<ol style="list-style-type: none"> माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 3,00,00,001/- (तीन करोड़ एक रुपये) से 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।

		<ol style="list-style-type: none"> 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-9 के अन्तर्गत प्रोबेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दावे। 4. हिन्दू अवयस्क एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनों से संबंधित प्रकरण/आवेदन। 5. रुपये 501/- (रुपये पांच सौ एक रुपये) से 1,000/- (रुपये एक हजार) तक मूल्य के तहसील दतिया तथा तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 6. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन प्रथम जिला न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 7. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) दतिया, तत्कालीन प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भाण्डेर तथा पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भाण्डेर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
7.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
8.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील दतिया तथा सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रु. 50,00,001/- (पचास लाख एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील दतिया तथा सेंवड़ा नगर पालिका दतिया क्षेत्र से उत्पन्न म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत धारा 139 तथा धारा 172 के अन्तर्गत अपीलें। 3. तहसील दतिया तथा सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण। 4. इसी न्यायालय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया तथा पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 दतिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 5. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसी समस्त कार्यवाहियां जिसका उल्लेख नहीं किया गया हो तथा पूर्णतः इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार योग्य हों। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
9.	ग्राम न्यायाधिकारी, जनपद दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तहसील दतिया क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण।
10.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के प्रथम अति. न्या. दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील दतिया तथा सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 2. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/ डिक्री/ आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।

		<p>3. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पृष्ठंकन क्रमांक बी/9707 जबलपुर दिनांक के संलग्न म.प्र. शासन के आदेशानुसार सप्ताह में एक दिवस बुधवार को बाल न्यायालय में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड दतिया की हैसियत से पदस्थ किया गया है।</p> <p>4. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
11.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	<p>1. तहसील दतिया तथा सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 25,00,001/- (पच्चीस लाख एक रुपये) से 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (समस्त. प्रशिक्षु न्यायाधीश) दतिया द्वारा तत्समय पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।</p> <p>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
12.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, दतिया	<p>1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 01/- (एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 01/- (रुपये एक) से 500/- (रुपये पांच सौ) तक के मूल्य के लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>3. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।</p> <p>4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
13.	प्रथम जिला न्यायाधीश, सेंवड़ा	<p>1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 10,00,00,001/- (दस करोड़ एक रुपये) से अधिक मूल्य के सिविल वाद एवं निष्पादन तथा विविध प्रकरण।</p> <p>2. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 सहित पारिवारिक विवादों से संबंधित दावे।</p> <p>3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दावे तथा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण / आवेदन।</p> <p>4. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न आर्बिट्रेशन अधि.1996 के अन्तर्गत दावे एवं निष्पादन प्रकरण।</p> <p>5. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि.1925 के भाग-9 के अन्तर्गत प्रोबेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दावे।</p> <p>6. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से उत्पन्न धारा 33 के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र सेंवड़ा के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक अपीलें तथा धारा 34 के अन्तर्गत उत्पन्न सिविल अपील प्रकरण।</p> <p>7. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 751/- (रुपये सात सौ इक्यावन) से 1000/- (रुपये एक हजार) तक मूल्य के उत्पन्न लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>8. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवड़ा तथा पूर्व में कार्यरत रहे सिविल जज वर्ग-1 सेंवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सेंवड़ा के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण।</p> <p>9. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन तथा विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन तथा निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।</p> <p>10. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>

14.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1,00,00,001/- (एक करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य के सिविल वाद एवं निष्पादन तथा विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न संरक्षण एवं प्रीपाल्य अधि. के अन्तर्गत दावे। 3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मेण्टल हेल्थ अधि. 1987 के अन्तर्गत प्रकरण। 4. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 5. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न पागलपन अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 6. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मध्यप्रदेश लोकल फण्ड अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आवेदन पत्र। 7. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 8. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 501/- (रुपये पांच सौ एक) से 750/- (रुपये सात सौ पचास) तक मूल्य के उत्पन्न लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 9. इसी न्यायालय तथा पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सेंवड़ा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन तथा विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन तथा निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 10. प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवड़ा एवं पूर्व में पदस्थ प्रथम सिविल जज वर्ग-2 सेंवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। 11. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
15.	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
16.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 01/- (एक रुपये) से 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तहसील सेंवड़ा क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत पूर्व से लंबित तथा उत्पन्न होने वाले सिविल, आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है। 3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 251/- (रुपये दौ सौ इक्यावन) से 500/- (रुपये पांच सौ) मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन/विविध प्रकरण। 4. इसी न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सेंवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
17.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 3,00,001/- (तीन लाख एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1/- (रुपये एक) से 250/- (रुपये दौ सौ पचास) रुपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन/विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवड़ा के द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
18.	ग्राम न्यायाधिकारी, तहसील सेंवड़ा	ग्राम न्यायाधिकारी, सेंवड़ा की हैसियत से पूर्व में पदस्थ न्यायिक अधिकारी की पदोन्नती उपरांत माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा अन्य किसी न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना नहीं किये जाने के कारण वर्तमान में न्यायालय रिक्त है।

19.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भाण्डेर	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 5,00,000/- (पांच लाख एक रु.) से 1,00,00,000/- (एक करोड रूपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. नगर पालिका भाण्डेर क्षेत्र से संबंधित नगर पालिका अधिनियम 1961 से उत्पन्न धारा 139 तथा धारा 172 की अपीलें। 3. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 251/- (रूपये दो सौ इक्यावन) से 500/- (रूपये पांच सौ) रूपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन/विविध प्रकरण। 4. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अन्तर्गत प्रकरण। 5. इसी न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भाण्डेर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
20.	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भाण्डेर	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 1/- (एक रूपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 1/- (रूपये एक) से 250/- (रूपये दो सौ पचास) रूपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन/विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भाण्डेर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

नोट :

ग्राम न्यायाधिकारी, सेंवड़ा जिला दतिया का न्यायालय रिक्त होने के कारण ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तहसील सेंवड़ा क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत पूर्ण से लंबित तथा उत्पन्न हो रहे वाले सिविल, अपराधिक प्रकरणों से संबंधित मात्र **अत्यावश्यक कार्य** हेतु आगामी अधिसूचना प्राप्त होने तक **प्रधान व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवड़ा** को अधिकृत किया गया है।

(संजीव श्रीवास्तव)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

स्थान : दतिया।

खण्ड - ब

“मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण”

1.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न धारा 166, 163 (ए) मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अर्वाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 9322/2022 (गौहर मौहम्मद विरुद्ध उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम) में पारित निर्णय 15.12.2022 के अनुपालन में तहसील दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप से प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन।
2.	प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायालय, दतिया के न्यायालय के प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा विशेष अधिनियम एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
3.	प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
4.	द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	<p>पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की संख्या 100 से कम होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सिविल कार्य आवंटित किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इसी अधिकरण, प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण तथा वर्तमान में रिक्त तथा पूर्व में पदाभिहित/अधिसूचित/नामांकित होकर कार्यरत रहे समस्त फास्ट ट्रेक न्यायाधीशगण के द्वारा तत्समय पारित अर्वाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
5.	तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. इसी अधिकरण एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्यायालय के द्वितीय/चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा तत्समय पारित अर्वाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
6.	प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्यायालय के तृतीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण। 2. इसी अधिकरण तथा प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया, द्वारा तत्समय पारित अर्वाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।

7.	प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र सेंवड़ा, अतरेंटा, भगुआपुरा एवं डिरोलीपार से उत्पन्न धारा 166, 163(ए) मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 9322/2022 (गौहर मौहम्मद विरुद्ध उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम) में पारित निर्णय 15.12.2022 तथा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/5503 जबलपुर दिनांक 02.08.2023 के अनुपालन में तहसील सेंवड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र सेंवड़ा, अतरेंटा, भगुआपुरा एवं डिरोलीपार से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में संबंधित थानों से निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप से प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
8.	द्वितीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवड़ा के इन्दरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र इन्दरगढ़, लांच, थरेट एवं धीरपुरा से उत्पन्न धारा 166, 163(ए) मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण एवं पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अवाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 9322/2022 (गौहर मौहम्मद विरुद्ध उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम) में पारित निर्णय 15.12.2022 तथा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/5503 जबलपुर दिनांक 02.08.2023 के अनुपालन में तहसील सेंवड़ा के इन्दरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र इन्दरगढ़, लांच, थरेट एवं धीरपुरा से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में संबंधित थानों से निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।

(संजीव श्रीवास्तव)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दतिया (म.प्र.)

स्थान : दतिया।

खण्ड - स


“सत्र न्यायालयों का कार्य विभाजन”

<p>1-</p>	<p>सत्र न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायालय</p> <p>1. सती (निषेध) अधिनियम 1987</p> <p>2. मानव अधिकार (संरक्षण) अधिनियम-1993</p>	<p>1. सत्र खण्ड दतिया से उत्पन्न सत्र प्रकरण, सत्र न्यायालयों में सुनवाई योग्य दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p align="center">अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण</p> <p>2. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत गठित ग्राम न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरणों में दिए गए आदेश एवं निर्णयों के विरुद्ध अपील धारा 33 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से तथा धारा 34 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक अपील।</p> <p>3. सत्र न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत विचारण योग्य ऐसे अन्य प्रकरण जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं किया गया है।</p> <p>4. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।</p>
<p>2-</p>	<p>विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सह प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया</p>	<p>1. अधिसूचित विशेष न्यायालय/सम्पूर्ण राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण।</p> <p>2. समस्त राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 से संबंधित सत्र न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य सभी प्रकार के प्रकरण।</p> <p>3. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित) अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।</p> <p>4. सत्र न्यायाधीश-दतिया द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।</p>
<p>3-</p>	<p>प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया सह विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)</p>	<p>1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. इसी न्यायालय तथा तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/ नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।</p> <p>4. वर्तमान में रिक्त तथा पूर्व में फास्ट ट्रेक न्यायाधीश के पद पर पदाभिहित/ अधिसूचित/ नामांकित होकर कार्यरत रहे समस्त न्यायाधीशगण के न्यायालयों के द्वारा निराकृत प्रकरणों की प्रवर्तन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं उक्त न्यायालय के निर्णयों की अपीलें, रिविजन (मान्नीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय) के आदेशों का प्रवर्तन कार्य भी इस न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार संपादित किया जावेगा।</p> <p>5. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
<p>4-</p>	<p>द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)</p>	<p>1. तहसील क्षेत्र दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत पॉक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>2. तहसील क्षेत्र दतिया एवं भाण्डेर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध जैसे कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सह बलात्कार एवं संबंधित अन्य समस्त प्रकरण।</p> <p>3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 101 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड दतिया से उत्पन्न दांडिक अपील प्रकरण।</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 से संबंधित सम्पूर्ण राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। 5. इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 6. तहसील क्षेत्र दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत संचालित आरक्षी केंद्रों के अंतर्गत पॉक्सो अधिनियम एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दोनों के अंतर्गत सम्मिलित रूप से पंजीबद्ध होकर उद्भूत हुये प्रकरण। 7. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
5-	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायाधीश (डकैती अधिनियम)	<ol style="list-style-type: none"> 1. मध्यप्रदेश डकैती और ब्यहपरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत एवं पूर्व से लंबित समस्त प्रकृति के प्रकरण। 2. इस न्यायालय तथा तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/ नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 3. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
6-	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिविल जिला दतिया के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 28-सेवड़ा के विद्युत क्षेत्र के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) उद्भूत तथा पूर्व से लंबित समस्त विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 2. तहसील दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 3. इस न्यायालय तथा तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के द्वितीय / तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 4. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
7-	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेवड़ा सह विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुक्रमांक -28 तहसील सेवड़ा के विद्युत क्षेत्र से उद्भूत तथा पूर्व से लंबित विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित तहसील क्षेत्र सेवड़ा के अंतर्गत उद्भूत सभी प्रकार के प्रकरण। 3. तहसील सेवड़ा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 4. इस न्यायालय एवं पूर्व में कर्तव्यस्थ रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सेवड़ा द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 5. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। <p>नोट: सेवड़ा से दतिया की दूरी लगभग 65 कि.मी. है, अतः पक्षकारों तथा अभिभाषकों की सुविधा की दृष्टि से -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सेवड़ा तहसील क्षेत्र के आरक्षी केन्द्रों से सेवड़ा, अतरेंटा, भगुआपुरा, डिरोलीपार, से संबंधित एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य आदेश दिनांक से नवीन समस्त जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध तथा निराकृत होंगे।

8-	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण। 2. तहसील क्षेत्र सेंवड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत तथा पूर्व से लंबित पॉक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 3. तहसील क्षेत्र सेंवड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सह बलात्कार एवं अन्य संबंधित अन्य समस्त प्रकरण। 4. इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/ अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 5. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण। <p>नोट: सेंवड़ा से दतिया की दूरी लगभग 65 कि.मी. है, अतः पक्षकारों तथा अभिभाषकों की सुविधा की दृष्टि से -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवड़ा के इन्दरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र इंदरगढ़, लॉच, थरेट, एवं धीरपुरा से संबंधित एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य आदेश दिनांक से नवीन समस्त जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध तथा निराकृत होंगे।
----	--	--

1. एक ही अपराध क्रमांक/प्रकरण (उपार्पण के पूर्व) में उसी अभियुक्त अथवा अन्य सह अभियुक्त का पश्चात्वर्ती जमानत आवेदन पत्र, पूर्ववर्ती आवेदन पत्र का निराकरण करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
2. किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानान्तरण होने की दशा में उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले पीठासीन अधिकारी के संबंध में भी यह कार्य वितरण पत्रक यथावत लागू होगा।
3. सेंवड़ा तहसील क्षेत्र के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य किसी अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-438 अथवा 439 द.प्र.स. का एक ही अपराध क्रमांक/प्रकरण (उपार्पण के पूर्व) में जिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया हो पश्चात्वर्ती क्रम में उस अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र उन्हीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया/सेंवड़ा के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत, पंजीबद्ध तथा निराकृत होंगे।
4. सेंवड़ा में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उपार्पण प्रकरण पंजीकरण के लिए सत्र न्यायालय दतिया भेजे जावेंगे परन्तु प्रकरणों के अभियुक्तों को, न्यायालय में उपस्थित होने हेतु तारीख पेशी दी जावेगी तथा ऐसे प्रकरणों का मुद्देमाल भी मालखाना सेंवड़ा में रहते हुए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत होगा।


 (संजीव श्रीवास्तव) 15/12/24

स्थान : दतिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 दतिया (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15, 19 तथा 21(4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके मैं **संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया** इस आदेश के द्वारा सिविल जिला दतिया तथा सत्र खण्ड दतिया के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सिविल तथा सत्र न्यायालयों के मध्य दीर्घ अवकाश के दौरान अत्यावश्यक सिविल मामलों के निपटारे के लिए अथवा अत्यावश्यक सत्र कार्य के निपटारे के लिए निम्नानुसार आदेश जारी करती हूँ जो दिनांक **19 फरवरी 2024** से प्रभावशील होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश तथा जिले में पदस्थ समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं दो के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने की अवस्था में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक सिविल तथा दण्डिक कार्य निम्नांकित तालिका के लिए गए क्रम के अनुसार प्रभारी न्यायाधीश द्वारा सम्पन्न किया जावेगा जो नीचे अंकित शर्तों के अधीन होगा।

क्रं.	न्यायाधीश का पदनाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
2.	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दतिया	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश, दतिया
3.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश, दतिया	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
4.	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश, दतिया
5.	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश, दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
6.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
7.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
8.	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
9.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया
10.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के द्वितीय अति.न्यायाधीश दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के प्रथम अति. न्यायाधीश दतिया
11.	ग्राम न्यायाधिकारी, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के द्वितीय अति.न्यायाधीश दतिया

12.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया
13.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया
14.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया
15.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया
16.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया
17.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया
18.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड , भाण्डेर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया

नोट:

- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक अधिकारियों को जिस विशेष अधिनियम (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, म.प्र. विद्युत अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट, पॉक्सो अधिनियम, महिलाओं से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं म.प्र. डकैती एवं ब्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आदि के अंतर्गत) से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु पदाभिहित किया गया है, उक्त विशेष अधिनियमों से संबंधित समस्त प्रकृति के अग्रिम / नियमित जमानत आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय में ही प्रस्तुत होंगे एवं पंजीयन के उपरांत उसी न्यायालय द्वारा निराकृत किये जावेंगे।
- मुख्यालय दतिया पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 न्यायालय के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया** द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
- मुख्यालय दतिया पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड न्यायालय के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ **चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया** द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
- मुख्यालय सेंवड़ा पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अथवा कनिष्ठ खण्ड न्यायालय के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) के द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा** द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

5. मुख्यालय भाण्डेर पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अथवा कनिष्ठ खण्ड न्यायालय के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

यह आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2024 से प्रभावशील होगा।

(संजीव श्रीवास्तव)

स्थान : दतिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: जमानत आवेदन पत्रों के निराकरण से संबंधित अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं संजीव श्रीवास्तव, सत्र न्यायाधीश, दतिया इस आदेश के द्वारा सत्र खण्ड दतिया/सेवढा के क्षेत्र में सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने, मुख्यालय से बाहर होने अथवा ग्रीष्म व शीतकालीन अवकाश पर होने अथवा अन्य किसी कारणवश कर्तव्य पर उपस्थित न हो पाने की दशा में - कार्यरत विभिन्न सत्र न्यायालयों के मध्य जमानत आवेदन पत्रों के कार्य के निपटारे के लिए निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ जो दिनांक **19 फरवरी 2024** से मात्र जमानत आवेदन पत्रों के संबंध में उपवर्णित दशा में प्रभावशील होगा -

1. किसी अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 अथवा 439 द.प्र.सं. किन्हीं विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया हो तो ऐसी दशा में पश्चात्पूर्व क्त में उस अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन उन्हीं विशेष न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

नोट:

इस अवस्था पर स्पष्ट किया जाता है कि किसी जानकारी के अभाव में अथवा लिपिकीय त्रुटिवश उक्त निर्देश का पालन न हो पाने की उत्पन्न दशा में संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ऐसे आवेदन पत्र, सत्र न्यायालय को वापिस करेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र पूर्ववर्ती आवेदन को निराकृत करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।

2. यदि पूर्ववर्ती आवेदन विभिन्न अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराध क्रमांक विशेष में, सह अभियुक्त के जमानत आवेदन, पूर्व में निराकृत किए गए हों तो ऐसी दशा में अन्य सह अभियुक्त का जमानत आवेदन, उन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जावेगा, जिन्होंने कि सबसे अंत का (नवीनतम) जमानत आवेदन संबंधित अपराध क्रमांक के सह अभियुक्त का निराकृत किया हो अथवा किसी पदस्थापना पर उनकी पदस्थापना अन्य विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में होने पर भी उनके द्वारा ही जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा।
3. केस डायरी / अभिलेख प्राप्ति पर ही संबंधित जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
4. उक्त के अलावा परिवाद पर संस्थित प्रकरणों से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अवकाश पर गए विशेष न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को छोड़कर उनके पंजीयन के क्रम में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया से लगायत अंतिम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय को क्रमानुसार एक-एक जमानत आवेदन स्वमेव अंतरित होना माना जावेगा।
5. कण्डिका क्रमांक 01 अनुसार भेजे गये प्रतिभूति आवेदन पत्रों के बाद शेष बचे हुए प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र निम्नानुसार आरक्षी केन्द्र के समक्ष अंकित विशेष न्यायाधीश / अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विधिवत् निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे। यदि भेजे जाने वाले संबंधित विशेष न्यायाधीश / अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अवकाश पर हैं तो उनके प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश एवं यदि प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश भी अवकाश पर हैं तो द्वितीय एवं यदि द्वितीय प्रभार वाले न्यायाधीश अवकाश पर हैं तो तृतीय प्रभार वाले न्यायाधीश के न्यायालय में निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे एवं यदि तृतीय प्रभार वाले न्यायाधीश भी अवकाश पर हैं तो तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पद क्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया को निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे तथा यह प्रभार क्रमानुसार क्रमागत होकर पुनः प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया से प्रभावी रहेगा।


क्र.	आरक्षी केन्द्र का नाम	न्यायाधीश का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	कोतवाली दतिया, सिविल लाईन, जिगना, चिरुला	विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस.टी. दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
2	बड़ौनी, उनाव, सरसई, पण्डोखर	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश
3	महिला थाना दतिया, सिनावल	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश	विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस.टी. दतिया
4	गोराघाट, गोदन, आबकारी वृत्त दतिया एवं भाण्डेर	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश	विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस.टी. दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया
5	दुरसड़ा, भाण्डेर, बसई	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश	विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस.टी. दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया

नोट:

उपरोक्त तालिका में वर्णित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश का इस स्थापना से अन्य स्थापना पर स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश दतिया द्वारा जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण किया जावेगा।

6. पूर्व में प्रतिभूति आवेदन पत्र निराकृत करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश इस स्थापना से स्थानांतरित होकर गए हों तो उनके स्थान पर आने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा एवं यदि उक्त न्यायालय रिक्त है तो ऐसी स्थिति में कण्डिका क्रमांक 5 के अनुसार प्रतिभूति आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा।
7. सत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र जो कि माननीय उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित हों वे स्वतः संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित होना माने जावेंगे। यदि उक्त न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अवकाश पर रहते हैं तो उस स्थिति में आवेदन पत्र न्यायाधीश के चार्ज में रहने वाले वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा सुने जावेंगे।
8. यदि कोई जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और वह आवेदन पत्र अपर सत्र न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में निराकृत हेतु भेज दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वह अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश उक्त जमानत आवेदन पत्र को संबंधित विशेष न्यायालय में भेजे जाने हेतु सत्र न्यायालय को वापस भेजेंगे एवं संबंधित विशेष न्यायालय को उक्त जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
9. जमानत आवेदन पत्र अंतरित होने के पश्चात् यदि जमानत आवेदन पर भेजे गए संबंधित न्यायालय से इस टीप के साथ आवेदन पत्र वापस प्राप्त होता है कि संबंधित प्रकरण अन्य अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दतिया के न्यायालय में लंबित है तो उक्त जमानत आवेदन पत्र जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण लंबित है उस न्यायालय में स्वमेव अंतरित होना माना जावेगा।

10. उक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थिति वाले जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) दतिया द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रभार वाले न्यायाधीश को विधिवत् निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।
11. उक्त कार्य व्यवस्था में आकस्मिक रूप से उत्पन्न परिस्थितियों में पृथक से विधि अनुसार आदेश पारित किया जावेगा।


(संजीव श्रीवास्तव)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

स्थान : दतिया।